Public

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001

दूरभाष : पी0बी0एक्स0–2225439, 2222363, 2228461

फैक्स : 0522–2274526, 2228841, 2274578

पत्र संख्याः–1360रोपी/2019–177एफए/01/07, दिनांकः13 नवम्बर, 2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो/वित्त)
उ0 प्र0 परिवहन निगम।

विषयः परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर कैण्टीन/स्टॉल के आवंटन में दिव्यांगजनों को आरक्षण प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 परिवहन निगम के समस्त बस स्टेशनों पर स्थित कैण्टीन/स्टाल का आबंटन नियमावली–2009 के अन्तर्गत किया जाता है, जिसमें निविदा के माध्यम से अधिकतम बोलीदाता को 03 वर्ष के लिए कैण्टीन/स्टाल के ठेकों की प्रक्रिया लागू है।

दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता एवं आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे दिव्यांगजन सशक्त होकर समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित होकर सम्मान के साथ अपना जीवनयापन कर सके। दिव्यांगजनों के कल्याण एवं अधिकारों को सुरक्षित करने के उददेश्य से भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 (THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES ACT-2016) लागू किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने, रोजगार उपलब्ध कराने एवं स्वावलम्बी बनाने के उददेश्य से उ0प्र0 परिवहन निगम के समस्त बस स्टेशनों पर निविदा के माध्यम से आवंटित होने वाली कैण्टीन/स्टाल में दिव्यांगजनों को आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु निगम निदेशक मण्डल की 218वीं बैठक दिनांक 17.07.2018 के मद संख्या–56 में पारित संकल्प के अनुसार परिपत्र संख्या–155रोपी/15–177एफए/01/07 दिनांक 17.09.2018 के द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किए गये।

उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–1449/79–वि–1–18–2(क)11–2018 दिनांक 23.07.2018 में प्रदेश सरकार द्वारा दिब्यांगजनों को विभिन्न सेवाओं में 04 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

शासन की उक्त अधिसूचना में प्राविधानित दिव्यांगजनों हेतु 04 प्रतिशत आरक्षण निगम के बस स्टेशनों पर स्थित कैण्टीन/स्टाल के आबंटन में दिव्यांगजनों का आरक्षण सुनिश्चित किए जाने हेतु निगम निदेशक मण्डल की 225वीं बैठक,दिनांक 22.11.2019 के मद सं0–12 में निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् संकल्प पारित किया गया है :–

"निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर एजेण्डा टिप्पणी को इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि लाभार्थी सम्बन्धित जनपद के निवासी हो एवम् जनपद के जिलाधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी एवम् क्षेत्रीय प्रबन्धक की समिति द्वारा उन्हें चिन्हित किया गया हो।"

अतः निदेशक मण्डल द्वारा पारित उपरोक्त संकल्प के दृष्टिगत परिवहन निगम के समस्त बस स्टेशनों पर (बड़े स्टेशनों पर दो तथा छोटे बस स्टेशनों पर एक) 10X10 का स्थान दिव्यांगजनों के लिये चिन्हित करते हुये निविदा के माध्यम से अधिकतम बोलीदाता दिव्यांगजन को प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 04 प्रतिशत आरक्षण की सीमा तक स्टालों का चिन्हिकरण/आरक्षण, कैन्टीन स्टाल नियमावली 2009 में उल्लिखित क्रमानुसार चिन्हित /आरक्षित किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्टाल आबंटन हेतु कैन्टीन/स्टाल नियमावली 2009 की शेष नियम व शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स.प्र., प्रबन्ध निदेशक, कैम्प/अ.प्र.नि., कैम्प, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2– वित्त नियंत्रक/विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– मु.प्र.प्र.(प्रशा./संचा./प्रावि.), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– सचिव–निगम, उ0 प्र0 परिवहन निगम।
6– गार्ड पत्रावली।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक